संख्याः- 93 /उन्तीस/04/02-(47पे0)/2004

प्रेषक,

कुँवर सिंह
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन

सेवा में,

मुख्य महाप्रबन्धक
उत्तरांचल जल संस्थान
देहरादून।

पेयजल अनुभाग देहरादूनः दिनांकः 02 फरवरी, 2005

विषय जनपद देहरादून में पण्डितवाडी ग्राम समूह पेयजल योजना के श्रोत सम्बर्द्धन के प्राक्कलन पर प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति एवं वाणी बिहार मगत सिंह कालोनी, देहरादून पेयजल योजना हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक 2953/प्राक्कलन/2004-05 दिनांक-04-12-2004 एवं अधीक्षण अभियन्ता नगर, उत्तरांचल जल संस्थान, देहरादून के पत्रांक 1434/अधी0अभि0न0/दे0दून/प्राक्कलन /04-05 दिनांक 10.01.05 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद देहरादून में पण्डितवाड़ी ग्राम समूह पेयजल योजना के श्रोत सम्बर्द्धन के प्राक्कलन अनु0लागत रू0 80.33 लाख के परीक्षणोपरान्त टी0ए0सी0 द्वारा औचित्यपूर्ण पायी गयी रू 79.50 लाख (रू0 उन्यासी लाख पचास हजार मात्र) की लागत के आगणन पर श्री राज्यपाल प्रशासकीय एंव वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन दिये जाने तथा इस योजना पर चालू वित्तीय वर्ष में व्यय हेतु रू0 14.63 लाख (रू0 चौदह लाख तिरसठ हजार मात्र) एवं वाणी बिहार भगत सिंह कालोनी, देहरादून पेयजल योजना के श्रोत सम्बर्द्धन सम्बंधी प्राक्कलन जिसकी अनु0लागत रू0 94.66 लाख पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या- 1188/उन्तीस/04-2(37पे0)/2004, दिनांक 17 जुलाई, 2004 द्वारा प्रदान की गई थी, पर व्यय हेतु रू0 10.00 लाख (रू0 दस लाख मात्र) अर्थात कुल रू0 24.63 (चौबीस लाख तिरसठ हजार मात्र) की धनराशि उक्त दोनों योजनाओं पर व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रख जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(1) आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत /अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गयी हों , की स्वीकृति नियमानुसार आगणन/मानचित्र पर अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा ।

कनम-2

(2) पण्डितवाड़ी ग्राम समूह पेयजल योजना हेतु स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि परिवर्तन के उपरान्त केवल आवश्यकता में अन्तर के सम्तुल्य आगणन में प्राविधान किया गया है तथा निर्माण के फलस्वरूप फालतू सामग्री के मूल्य का क्रेडिट कार्यों में कर दिया गया है।

(3) कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी,बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

(4) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत मानक है, स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाय ।

(5) एक मुश्त प्राविधान का कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(6) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एंव लोक निमार्ण विभाग /विभाग द्वारा प्रचलित दरों /विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(7) कार्य की समयबद्धता एंव गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

(8) कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों के साथ अवश्य करा लें । निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाए ।

(9) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है ,उसी मद पर व्यय किया जाए,एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए ।

(10) निमार्ण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए।

2. उपरोक्त प्रस्तर–1 में स्वीकृत धनराशि मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तरांचल जल संस्थान के हस्ताक्षर एवं जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर युक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके वास्तविक आवश्यकतानुसार आहरित की जायेगी तथा आहरण से सम्बंधित बिल वाउचर संख्या एंव दिनांक की सूचना शासन एंव महालेखाकार को आहरण के तुरन्त बाद उपलब्ध कराई जायेगी।

3 कन्टीजेंसी एवं सेन्टेज चार्जेज शासन द्वारा अनुमन्य दरों पर ही लिया जाय। प्रोजेक्टर तैयार करने एवं सुपरवीजन करने कोई धनराशि अनुमन्य नहीं होगी

4 व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मेनुअल और फाइनान्शियल हेण्डबुक नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। निर्माण कार्यों पर व्यय करने से पूर्व

क्रमशः–3

विस्तृत आगणनों पर सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति भी अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

5 स्वीकृत धनराशि का व्यय दिनांक 31.03.2005 तक सुनिश्चित कर लिया जाय तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र एवं कार्य की वित्तीय भौतिक प्रगति का विवरण तदोपरान्त शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा। कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

6 इस सम्बंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 में अनुदान संख्या–13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2215–जलपूर्ति तथा सफाई–01–जलपूर्ति–आयोजनागत–101–शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम–05–नगरीय पेयजल–03–नगरीय पेयजल योजनाओं का पुनर्गठन, जीणोद्धार, सुदृढ़ीकरण हेतु अनुदान–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के नामें डाला जायेगा।

7 यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0 169/वित्त अनु0–3/2004 दिनांक 02 फरवरी, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव

संख्याः– 98 /उन्तीस/04/02–(47पे0)/2004,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महालेखाकार,, उत्तरांचल देहरादून ।
2–मण्डलायुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
3–जिलाधिकारी, देहरादून।
4–वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5–महाप्रबन्धक उत्तरांचल जल संस्थान (गढ़वाल) पौड़ी ।
6–अधीक्षण अभियन्ता, नगर, उत्तरांचल जल संस्थान, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया सम्बन्धित अवर अभियन्ता /सहायक अभियन्ता को शासन से भेजकर आगणन में की गयी कटोतियों को नोट करने हेतु निर्देशित करें
7–निजी सचिव मा0 मुख्य मंत्री।
8–वित्त अनुभाग–3/नियोजन प्रकोष्ट/वित्त बजट सेल ।
9–निदेशक,एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव